न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00082 (89/2012) 75 एलआरएक्ट

1. राजोदेवी पत्नी देश राज
2. सुखदेव पुत्र देश राज
3. रामनिवास पुत्र देश राज
4. नरेश कुमार पुत्र देश राज
5. निर्मल पुत्र देश राज
6. रामविलास पुत्र देश राज
7. उषा पुत्री देश राज
8. राधा पुत्री देश राज

जाति कूंचिया हालमेला ग्राउण्ड सिरसा, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

9. जरिये मुखत्यारआम रामविलास पुत्र श्री देश राज पुत्र वचनाराम स्वयं मुखत्यारआम अपीलांट संख्या 1 से 5 व 7 से 8 जाति कूंचिया निवासी मेला ग्राउण्ड सिरसा, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा) –अपीलांटस

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.02.2011 अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर प्रकरण संख्या 05/2011 बअनवान राजस्थान राज्य बनाम राजो देवी आदि

उपस्थितः–
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः– 19.11.2019

1. तहसीलदार राजस्व नोहर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि कस्बा नोहर के वर्तमान खसरा नं. 91 का रकबा 14.017 बीघा जो पुराने खसरा नं. 91/744 से बना है मुताबिक गिरदावरी संवत 2015 में बचना पुत्र बुजा कौम कूचियॉ, आराजी एक साला रकबा 42.02 बीघा दर्ज है। संवत 2011 से 2014 में इसका नाम नहीं है। संवत 2016 से 2024 तक (2020 से 2022 को छोड़कर) काश्त दर्ज है। संवत 2028–29 में भी काश्त दर्ज है व इस गिरदावरी के कॉलम 16 में वर्ष 1972–73 के लिए अलॉट व कॉलम नम्बर 41 में वर्ष 1973–74 के अलॉट का अंकन है। सर्वे खसरा भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा नं. 91 रकबा 14.17 बीघा कॉलम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

14 में बचना पुत्र बुजा कौम कूंचियॉ सम्वत 2015 से गैर खातेदार अंकन है। भू प्रबन्ध विभाग की मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 से 38 में उक्त भूमि बचना के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है जो बाद में राजस्व विभाग की जमाबंदी में सम्वत 2041 तक बचना के नाम दर्ज रही है। उसके बाद सम्वत 2042 में बरूवे इन्तकाल संख्या 149 दिनांक 27.11.88 से यह भूमि बचना के पुत्र देशराज के नाम दर्ज हुई जो सम्वत 2061 तक देशराज के नाम रही। इसके बाद 2062 से 2065 बरूवे इन्तकाल संख्या 513 दिनांक 21.05.2008 से अप्रार्थीगण के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है। संवत 2031 से 33, 2041 में काश्त दर्ज है। 2040 में काश्त दर्ज नहीं है। सम्वत 2046 से 2048 में काश्त दर्ज कर काटा हुआ है। सम्वत 2047 से 2049 में काश्त दर्ज नहीं है। सम्वत 2050 में काश्त दर्ज है। सम्वत 2051 से 2054 तक की गिरदावरी में काश्त दर्ज नहीं है व सम्वत् 2051 से 54 की गिरदवरी में उक्त खसरा नं. के सामने कॉलम नं. 6 व 7 में (श्मशान) पेंन्सिल से लिखा हुआ है। उक्त खसरा नं. 91 रकबा 14.17 बीघा जो रिकार्ड व मौका पर कब्रिस्तान है, जिसके चारों तरफ दीवार व बाड़ बनी हुई है। उक्त भूमि आबादी क्षेत्र में आ जाने से अप्रार्थीगण के मन में लालच आ गया था इसलिए अपने नाम से दर्ज गैर खातेदारी भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवा लिया जो गलत है। राजस्व रिकार्ड में कभी भी काश्त दर्ज नहीं हुई उक्त भूमि पर अप्रार्थगण का कभी कब्जा नहीं रहा और अप्रार्थीगण का पेशा कृषि नहीं रहा है। इस आधार पर आवंटन खारिज योग्य है। उक्त भूमि आवंटन न होकर भू प्रबन्ध विभाग से सीधे ही गैर खातेदारी दर्ज करवाई है। यह भूमि मौके पर कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं हो रही है। अप्रार्थीगण को मौके पर कब्जा भी नहीं है। आवंटन निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में आराजीराज (सिवाय चक) दर्ज करने का अनुतोष प्रार्थी तहसीलदार ने मांगा। अपीलाण्ट/अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताया, प्रश्गनत भूमि कब्रिस्तान की होने का खण्डन किया और प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर रकबा आराजी राज दर्ज करने के आदेश दिये अपीलाण्ट/अप्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 02.08.2011 को रिमाण्ड की गई। उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त दिनांक 09.11.2012 के द्वारा आवंटंन का निरस्त करने के आदेश पारित किये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की हैं।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं मनमाना है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा काश्त नही करने व राजस्व रिकार्ड में काश्त दर्ज नही होने के आधार पर अपीलाण्ट का आवंटन शर्तों की अवहेलना होने का तथ्य साबित मानकर तथ्य की भूल की है। यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रश्नगत भूमि बारानी है तथा सिंचाई के कोई वैकल्पिक साधन नहीं है तथा इस भूमि पर काश्त वर्षा पर निर्भर हे। अकाल की स्थिति में व गत कई वर्षों से पर्याप्त बरसात

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नही होने के कारण बीच बीच में इस भूमि में पानी के अभाव में सिंचाई नहीं होने मात्र से इस आधार पर आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.08.2011 में यह स्पष्ट अवधारणा पारित होने कि प्रश्नगत भूमि कब्रिस्तान की भूमि नहीं है कि बावजूद प्रश्नगत भूमि कब्रिस्तान होने की अवधार भी कतई गलत मनमानी व अनुचित है। कब्रिस्तान की भूमि अपीलांट की उक्त प्रश्नगत भूमि से चिपते खसरा नं. 90 में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को काश्तकारी पेशा न मानकर भूल की है जबकि खसरा नं. 97 में इस भूमि के नजदीक 9 बीघा व 4 बिस्वा भूमि अपीलांट की खातेदारी है। इस भूमि पर अपीलांट बतौर आवंटन 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज है तथा इस भूमि का रकमराज व लगान अदा करते आ रहे है। सैटलमैंट से पूर्व के राजस्व अभिलेख में यह भूमि अपीलांट के नाम बर्तार आवंटी दर्ज रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफ तो इस भूमि को आवंटित होना मानकर नियम 14 (4) के अनतर्गत आवंटन को निरस्त किया है तथा दूसरी तरफ यह मानकर की यह भूमि अपीलांट को आवंटित नही हुई कतई गलत व विरोधाभासी निर्णय पारित किया है। विधि अनुसार प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को आवंटित ही नहीं थी तो अधीनस्थ न्यायालय को नियम 14 (4) के अर्न्तगत अपनी शक्तियों को गलत उपयोग किया गया है। प्रश्नगत भूमि 1958 आरजी काश्त हेतु तत्कालीन राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1957 के नियम 14 (क) के अनुसार आवंटित हुई थी तथा नियमानुसार 10 वर्ष पश्चात् ऐसी आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि को अपीलांट के पूर्वज के नाम गैर खातेदारी दर्ज होने के तथ्य को इस आधार पर कि बिना विधिवत आवंटन हुए राजस्व अभिलेख में यह भूमि गलत रूप से गैर खातेदारी दर्ज हुई को विधि विरूद्ध मानने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि को मुस्लिम समुदाय की सार्वजनिक भूमि मानने व मौका पर कब्रिस्तान बने होने की अवधारणा बिना किसी साक्ष्य के एवं पत्रावली पर इस तथ्य के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होने के बावजूद पारित की है। वस्तुतः प्रश्नगत खसरा नं. 91 के चिपते खसरा नं. 90 की भूमि कब्रिस्तान की है तथा इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि सम्वत 2015 में एक साल अप्रार्थीगण के पूर्वज बचना को आवंटन हुई थी। इसके बाद आवंटन का नवीनीकरण नही हुआ और ना ही आवंटन हुआ। भू प्रबन्ध विभाग ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर बिना आवंटन हुए रकबे को गैर खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया, जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को ऐसे कोई अधिकार हासिल नहीं थे। प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं रहा। मौके पर चार दीवारी बनी हुई हैं। जिला कलेक्टर महोदय ने अपने पत्र क्रमांक 2041 दिनांक 26.08.2008 से निर्देश दिये कि प्रश्नगत भूमि के मौका एवं रिकार्ड में भिन्नता पाई जाती है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम से गैर खातेदारी है परन्तु मौके पर यह भूमि उनके कब्जा काश्त

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में नहीं ना ही इस भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु हो रहा है। प्रश्नगत भूमि मुस्लिम समुदाय की सार्वजनिक भूमि है जिस पर मौके पर कब्रिस्तान बना हुआ है मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। लम्बे समय से कब्रिस्तान के उपयोग में आ रही है अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं आ रही है। सम्वत 2015 में एक साल टी.सी. अलॉट था जो आगे नवीनीकरण नहीं किया गया उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. प्रकरण में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 804/744 हाल खसरा नं. 91 का रकबा 14 बीघा वाके कस्बा नोहर रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था कि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि पर कभी भी काश्त दर्ज नहीं हुई, उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा और अप्रार्थीगण का पेशा कृषि नहीं रहा। यह भूमि कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं हो रही है। प्रार्थी ने आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया जिस पर विचारण न्यायालय ने आवंटन निरस्त के आदेश पारित किये हैं। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के पूर्व बचना के नाम आराजीकाश्त हेतु आवंटन की गई थी जो बाद में नवीनीकरण नहीं हुई । अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि प्रश्नगत भूमि उसे विधिवत आवंटित हुई हो। प्रश्नगत भूमि को भू प्रबन्धक विभाग ने दौराने भू प्रबन्ध अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर दिया जबकि बिना विधिवत आवंटन हुए गैर खातेदारी दर्ज करने का अधिकार भू प्रबन्ध विभाग के पास नहीं था। **आवंटन नियम 1970 का नियम 14 (4) में यदि आवंटन कपट पूर्व या र्दुव्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है या नियमों के विरूद्ध किया हो अथवा किसी आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में किसी भी शर्त का भंग किया हो तो ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। अपीलाण्ट का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर उसके आवंटन को विधि सम्मत कहा जा सके।** हस्तगत प्रश्नगत में विचारण न्यायालय ने यह पाया है कि प्रश्नगत भूमि मुस्लिम समुदाय की सार्वजनिक भूमि है जिस पर मौके पर कब्रिस्तान बना हुआ है तथा चार दीवारी बनी हुई है मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है लम्बे समये से कब्रिस्तान के उपयोग में आ रही है कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं ली जा रही है।
7. यह भी कि अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट्स के पूवर्ज को बिना विधिवत आवंटन हुए भूमि का अंकन बतौर गैर खतेदार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया है जो किसी भी सूरत में विधि सम्मत नहीं माना है। उक्त तथ्य के विपरीत अपीलाण्ट ने अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं जिसके आधार राजस्व रिकार्ड में उनके अंकन को विधि सम्मत कहा जा सके।
8. **विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने फार्म नं. 3 के साथ नोटेरी द्वारा अटेस्टेड इकरानामा देशराज बहक कब्रिस्तान, पास बुक बचना पुत्र बूजन की फोटो कोपी तथा प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2074–77 कस्बा नोहर खाता संख्या 156/151 प्रस्तुत किये हैं। इकरारनामा देशराज बहक कब्रिस्तान से साबित होता है कि अपीलाण्ट के पति/पिता देशराज ने अपने स्वर्गीय पिता बचना की प्रबल इच्छा को महफूज रखते**

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हुए उसकी अन्तिम इच्छा की पूर्ति करते हुए कब्रिस्तान कस्बा नोहर को मईयत दफनाने के लिए दे दी थी। इस में यह भी अंकित है कि मिकरान को हासिल सब हक हकूक मालकाना कब्र स्थान कस्बा नोहर के प्रत्येक मुसलमान को हासिल होंगे। कब्जा मुसलीम को सम्भला दिया है इस भूमि पर के सम्बन्ध में प्रत्येक मुसलीम को हक हकुक मालकाना हासिल होगां। उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.11.2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.12.04 12:49:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: